

JPD/Rules- 782

JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED

No. JPD/CAO(ATR)/AO/Rules/F.110/D.2406

Jaipur, Dated: 19/10/11

ORDER

1229

Procedure for using Nigam's vehicle from residence to office and back.

Pursuant to the decision taken by the Co-ordination Committee in its 150th meeting held on 15.09.2011 and subject to ratification by the Board of Directors, It is hereby ordered to adopt the State Motor Garage Department, GoR's order No.F.4(6)St.Mo.Ga./2010 dated 23.09.2010 (copy enclosed). Accordingly, the facility of using the Nigam's vehicle from residence to office and back (one time) can be availed by only those officers to whom vehicles have been allotted/earmarked/hired by the competent authority, as per procedure laid down in GoR's aforesaid order dated 28.09.2010 with an exception to its point No. 4 as follows:-

- (i) Officers posted at Vidyut Bhawan, Jaipur / Zonal / CE/ Dy. CE / Circle/ SE level and equivalent officers will be allowed this facility @ Rs. 500/- per month.
- (ii) Officers posted in the offices other than at (i) above, will be allowed this facility @ Rs. 300/- per month.

Note for (i) & (ii) above: Officers using the same vehicle jointly, if avail this facility, will have to pay above amount separately.

- (iii) There will be a maximum ceiling of 500 Kms /month for all the officers, however, there shall be no such maximum ceiling in case of Chairman & Managing Director / Managing Director/ Whole Time Directors.

This is in supersession to all earlier decisions taken in this regard from time to time.

By order,

(Signature)

(R. L. Gupta)
Chief Accounts Officer (ATR)

Copy submitted/forwarded to the following for information and necessary action:-

- 1. The Chief Engineer (), JPD, _____
- 2. The Dy. Chief Engineer (), JPD, _____
- 3. The Chief Personnel Officer, JPD, Jaipur.
- 4. The Addl. Superintendent of Police (Vig.), JPD, Jaipur.
- 5. The Chief Accounts Officer (IA/FM-W&M), JPD, Jaipur.
- 6. The Superintending Engineer (IT), JPD, Jaipur. He is requested to upload this order indicating JPD/Rules No. on the Jaipur Discom's web site.

(Signature)
Chief Accounts Officer (ATR)
J.V.N. Limited
G.R. No. 2406 dt. 19/10/11

Dist. A.C. 1121 dt. A.O. (1/11)

*CE (17)
For purchase
of vehicle
14/11*

*20/10/11
31/11
for N/A ab
1/11/11
performed
13/11*

*SE (15)
XEN (17)
for M.A.*

SE (17)

राजस्थान सरकार
स्टेट मोटर गैराज विभाग

क्रमांक : प. 4(6)स्टे.मो.गै./2010

जयपुर दिनांक 28 सितम्बर 2010

आदेश

विषय - राजकीय कार्य हेतु निवास से कार्यालय आने-जाने की वाहन सुविधा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में विस्तार व सरलताकरण ।

विषयान्तर्गत इस विभाग के आदेश क्रमांक प.4(6)स्टे.मो.गै./2003 दिनांक 20.1.2004 द्वारा चिन्हित वाहन के उपयोग हेतु अधिकृत पत्र अधिकारियों को राजकीय वाहन से निवास से कार्यालय आने-जाने की सुविधा रुपये 300/- प्रतिमाह के भुगतान पर प्रदान की गई है- राज्य सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि ऐसे अधिकारियों जिनको राजकीय वाहन अथवा किराये का वाहन आवंटित है जो भी निर्धारित राशि के भुगतान पर ऐसे वाहनों का उपयोग निवास से कार्यालय आने-जाने की सुविधा प्रदान की जाये। तदनुसार निम्नांकित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है -

1. सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजकीय कार्य हेतु जिन अधिकारियों को राजकीय वाहन/अनुबन्धित किराया वाहन/पूल वाहन आवंटित है, उन अधिकारियों द्वारा ऐसे वाहन का उपयोग निवास से कार्यालय आने-जाने हेतु किया जा सकेगा।
 2. मोटर गैराज अथवा विभागीय पूल से आवंटित वाहनों से निवास से कार्यालय आने-जाने की सुविधा भी सक्षम/अधिकृत अधिकारी उपयोग कर सकते हैं।
 3. विभागों में किराये पर लिए जाने वाले अनुबन्धित वाहनों का उपयोग करने वाले अधिकारी भी निवास से कार्यालय आने-जाने की सुविधा हेतु अधिकृत हैं।
 4. वाहन के उपयोग करने वाले अधिकारी को निवास से कार्यालय आने-जाने हेतु विभागीय मुख्यालय (जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा भरतपुर) हेतु रुपये 500/- प्रतिमाह तथा अन्य स्थानों हेतु रुपये 300/- प्रतिमाह की दर पर उक्त सुविधा प्रदान की जावेगी। वाहनों के संवत्स रूप से उपयोग करने वाले अधिकृत अधिकारी यदि उक्त सुविधा लेते हैं तो प्रत्येक अधिकारी अलग अलग निजी रूप से उक्त भुगतान देगे।
 5. जिस अधिकारी को राजकीय/पूल/किराये का वाहन आवंटित है, उसने उक्त दरों पर राशि की कटौती अनिवार्य रूप से की जावे।
 6. उक्त सुविधा प्रदान किये जाने के फलस्वरूप विभागों को POL मद व वाहन किराये के मद में अतिरिक्त बजट प्राप्ति उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। अतः विभाग वाहनी का उपयोग नित्यव्ययपूर्वक करें।
 7. नियंत्रण अधिकारी वाहनों की स्वीकृत संख्या के आधार पर उनके निवास से कार्यालय आने-जाने के प्रशासनिक आदेश जारी करते हुए वेतन विलो से निर्धारित कटौती के आदेश जारी करेंगे।
- उक्त आदेश वित्त विभाग के आई.डी.क्रमांक 261000138 /FD दिनांक 20.9.2010 की राहमति के अनुसरण में जारी किये जाते हैं तथा यह तुरन्त प्रभाव से प्रभावी होंगे।

(किरण शर्मा मुख्या)
प्रमुख शारान अधिकारी

क.प.उ.